

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 137/एक-2-1/82


सीहोर दिनांक 29/04/23

प्रतिलिपि-यथानिर्देशानुसार।

1. श्री सुरेश सिंह, विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर
2. श्री संजय कुमार शाही, प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर
3. द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर (रिक्त न्यायालय)
4. श्री अभिलाष जैन, तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर
5. श्री सुरेश कुमार चौबे, प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा
6. द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज / अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी
7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर
8. सुश्री निधु श्रीवास्तवव, सुश्री इकरा मिन्हाज / मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर
9. श्रीमति वंदना त्रिपाठी, श्री एम.एन.एच. रजवी / सुश्री आयुषी गुप्ता / श्रीमती रिचा सिंह राजावत / सुश्री रिचा जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा
10. श्रीमति सुनीता गोयल, श्रीमति भावना जाटवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नसरुल्लागंज
11. श्री अरविन्द श्रीवास्तव / श्री कुणाल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी
12. श्री जितेन्द्र सिंह परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इछावर
13. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर
14. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, सीहोर / आष्टा / नसरुल्लागंज / बुदनी / इछावर की ओर संशोधित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 11 सीहोर दिनांक 29.04.2023 की छायाप्रति आपकी ई-मेल आई.डी.पर प्रेषित है।
15. जे.एस.ए. कम्प्यूटर अनुविभाग सीहोर की ओर उक्त आदेश इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह उक्त समर्त न्यायिक अधिकारीगण को उनकी ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
म.प्र. सीहोर(म.प्र.)

29.04.2023


कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

:: संशोधित आदेश ::

क्र. 11 / एक-दो-१/82

सीहोर, दिनांक : - २९/४/२३

मैं, अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर म0प्र0 व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा-15 उपधारा (1) एवं द.प्र.सं. 1973 की धारा 194, 381 (2) एवं 400 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल कार्य विभाजन आदेश क्र. 50 सीहोर दिनांक 29.12.2022 व इसके अनुलग्न "अ" एवं "ब" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ-

स.क्र. न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनु. क्र.	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है।
1 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर (श्री अमिताभ मिश्र)	सत्र खण्ड सीहोर	(1)	सत्र प्रकरण
		(2)	आपराधिक अपील
		(3)	आपराधिक रिवीजन
		(4)	जमनात आवेदन अंतर्गत धारा, 438, 439 एवं 440 द.प्र.सं. (आरक्षी केन्द्र रेहटी, बुदनी, शाहगंज, आष्टा, जावर, पार्वती, सिद्दीकगंज, भैरुदा (नसरुल्लागंज) एवं गोपालपुर को छोड़कर)
		(5)	अंतरण आवेदन आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अंतर्गत धारा 408 तथा 409 द.प्र.सं.
		(6)	द.प्र.सं. की धारा 199 (2) से संबंधित प्रकरण।
		(7)	अन्य अधिनियमों के सत्र विचारण योग्य समरत आपराधिक प्रकरण जो इस कार्य विभाजन पत्रक के द्वारा अन्य न्यायालय को नहीं सौंपे गये हैं।
		(8)	ग्रम न्यायालय सीहोर द्वारा आपराधिक प्रकरणों में पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील।
व्यवहार जिला सीहोर		(1)	नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन व विविध कार्यवाहियां जिनका वाद मूल्य रूपये 5,00,00,001/- (पांच करोड़ एक रूपये) से अधिक हो।
		(2)	प्रोविशियल इन्सोल्वेंसी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये 5,00,00,001/- (पांच करोड़ एक रूपये) से अधिक हो।
		(3)	सार्वजनिक सपत्ति (एविक्शन आफ अनअथोराइज्ड ओक्यूपेन्ट्स) एकट, 1971 से संबंधित अपीलें।
		(4)	व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
		(5)	अन्य समरूप व्यवहार मामले जो इस कार्य विभाजन पत्रक के द्वारा अन्य न्यायालयों को नहीं सौंपे गये हैं, तथा जो किसी राज्य या केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत जिले के प्रधान सिविल न्यायालय अथवा प्रधान जिला न्यायाधीश की श्रवणाधिकारिता के अन्तर्गत आते हों।
		(6)	नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें जो कि मुख्यालय सीहोर एवं तहसील इच्छावर पर पदस्थ समस्त व्य0 न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तथा कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सीहोर, द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्रों के विरुद्ध संस्थित की जाये।

संक्रिया	क्षेत्राधिकार	अनुकूलता	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है।
सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीहोर	तहसील सीहोर, इयामपुर एवं इछावर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र	(1)	मोटररथन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रकरण, जो <u>तहसील सीहोर</u> के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र कोतवाली, मण्डी, बिलकिसगंज एवं तहसील इयामपुर के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र इयामपुर दोराहा, अहमदपुर एवं तहसील इछावर के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र इछावर
बाल न्यायालय / सत्र न्यायालय सीहोर (विशेष न्यायालय)		(1)	बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालकों के प्रति अपराध या बालक अधिकारों को उल्लंघन संबंधी अपराध।
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार न्यायालय / सत्र न्यायालय सीहोर (विशेष न्यायालय)		(1)	विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित अपराध।
प्रधान जिला न्यायाधीश / विशेष न्यायालय, सीहोर (विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20(ख) के अंतर्गत)	सिविल जिला सीहोर की स्थानीय रीमार्ग		विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20(ख) के अंतर्गत, "अधीसंरचना परियोजना से संबंधित सविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने हेतु" (रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक वी/6235 दिनांक 23.12.2023 एवं अधिसूचना भोपाल दिनांक 15.12.2022 क्रमांक 4779 / 2022 / 21-ब(एक) / 2022)
2 विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) एवं प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर (श्री सुरेश सिंह)	सत्र खण्ड सीहोर	(1)	सत्र न्यायालय द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण/आपराधिक रिवीजन/आपराधिक अपील / जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीहोर	तहसील सीहोर, इयामपुर एवं इछावर	(2)	अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 से संबंधित सीहोर सत्र खण्ड के विशेष प्रकरण)
3 प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर (श्री संजय कुमार शाही)	सत्र खण्ड सीहोर	(1)	(3) विशेष सत्र प्रकरण स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के (जो कि अल्प मात्रा से संबंधित न हो) एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र व विविध प्रकार। अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008)(2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत कार्यवाहियाँ।
		(2)	(4) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अतरित किये जाने वाले व्यवहार वा व्यवहार का अन्वेषण अभ्यावेदन तथा याचिकाएं।
		(1)	(1) मोटररथन अधिनियम, 1988 से संबंधित दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीहोर से समय-समय पर अंतरण पर प्राप्त हो।
		(1)	सत्र न्यायालय द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण/आपराधिक रिवीजन/आपराधिक अपील / जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
		(2)	(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से संबंधित प्रकरण जो कि सीहोर सत्र खण्ड के अंतर्गत आते हों,(अधिसूचना क्रमांक -1-6-89 / 21-ब (एक) भोपाल दिनांक 24.10.09)
		(1)	(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (1) से संबंधित विशेष प्रकरण सिविल जिला सीहोर का समरत विद्युत क्षेत्र (आष्टा, नसगंज, बुढ़नी के विद्युत क्षेत्र की अधिकारिता को छोड़कर) अधिसूचना क्र. वी/ 2200 (विद्युत अधिनियम) / तीन -6-4 / 2003 जबलपुर दिनांक 29.06.20
		(1)	(4) नियमित व्यवहार वाद एवं अन्य कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रूपये 1,00,00,001/- से 5,00,00,000/- (रुक्ष करोड़ एक से पाँच करोड़ रुपये) तक हो।

संकेत नं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनुक्रम	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है।
			(2)	प्रोविशियल इन्सोल्वेंशी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रुपये, 1,00,00,001/- से 5,00,00,000/- (एक करोड़ एक से पाच करोड़ रुपये) तक
			(3)	लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रुपये 500/- से अधिक हो।
			(4)	व्यवहारवाद/आवेदन/याचिका कार्यवाही /अपीलें जो इडियन आर्बाट्रेशन एवं कासिलिएशन अधिनियम, 1996/म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1953 की धारा-6 तथा इडियन ट्रस्ट एकट, की धारा-2 के अंतर्गत संस्थित किये जावे।
			(5)	अभ्यावेदन—THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 snu के अंतर्गत प्रकरण।
			(6)	चुनाव याचिकाएं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सीहोर, श्यामपुर व इछावर क्षेत्र से संबंधित।
			(7)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद/व्यवहार अपीलें/आवेदन/ अभ्यावेदन तथा याचिकाएं।
	प्रथम अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीहोर		(1)	मोटरयान अधिनियम, 1988 से संबंधित दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीहोर से समय—समय पर अंतरण पर प्राप्त हो। म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन मामले व कार्यवाही।
	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/ आरक्षी केन्द्र कोतवाली, विशेष न्यायालय (म.प्र. निक्षेपकों मण्डी सीहोर के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000) सीहोर	सिविल जिला सीहोर की रक्तानीय सीमाएं		Banning of Unregulated Deposit schemes Act, 2019(21 of 2019)
4	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) सीहोर	सत्र खण्ड सीहोर	(1)	सत्र न्यायालय द्वारा समय—समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण/आपराधिक रिवीजन आपराधिक अपील / जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
			(2)	बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, बलात्संग सहित हत्या और उसके साथ जुड़े हुए अपराधों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही।
			(3)	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड, अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र आदि से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही।
	तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश/ आरक्षी केन्द्र दोराहा, विशेष न्यायालय (म.प्र. निक्षेपकों श्यामपुर, अहमदपुर एवं के हितों का संरक्षण अधिनियम बिलकिसगंज, इछावर 2000) सीहोर	व्यवहार जिला सीहोर	(1)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद / व्यवहार अपीले/ आवेदन/ अभ्यावेदन तथा याचिकाएं।
	तृतीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीहोर		(1)	मोटरयान अधिनियम, 1988 से संबंधित दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीहोर से समय—समय पर अंतरण पर प्राप्त हो।

संकेत संख्या	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनुकूलता का प्रकार	जिनका निराकरण किया जाना है।
5	प्रथम जिला एवं अति. राज्य न्यायाधीश, आष्टा (श्री सुरेश कुमार चौबे)	सत्र खण्ड सीहोर	(1)	राज्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण / आपराधिक रिवीजन/आपराधिक अपील / जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
			(2)	आरक्षी केन्द्र आष्टा एवं पार्वती के क्षेत्राधिकार में पुलिस एवं अन्य विभागों के द्वारा दर्ज अपराध से संबंधित जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438, 439 एवं 440 द०प्र०सं० (विशेष न्यायालय द्वारा अनन्यतः विचारणीय अपराध से संबंधित मामलों को छोड़कर)
			(3)	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (1) से संबंधित विशेष प्रकरण जो आष्टा, जावर, सिद्दीकगंज एवं पार्वती क्षेत्र से उद्भुत हो। अधिसूचना कं. 17 (ई), 83 / 03 / 21 –व (एक), दिनांक 24.07.2010 एवं उच्च न्यायालय पृष्ठांकन कं. सी / 3424 / जबलपुर दिनांक 22.08.2017
	आरक्षी केन्द्र आष्टा, (4) जावर, सिद्दीकगंज, पार्वती		(4)	लैंगिक अपराधों रो बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड, अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र आदि से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही।
			(5)	बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, बलात्संग सहित हत्या और उसके साथ जुड़े हुए अपराधों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही।
	तहसील आष्टा, जावर		(1)	नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन व विविध कार्यवाहियाँ जिनका वाद मूल्य रूपये 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक रुपये) से अधिक हो।
			(2)	लघू वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रूपये 500/- से अधिक हो।
			(3)	नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें जो कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आष्टा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड आष्टा के द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्रों से उद्भूत हो।
			(4)	प्रोविशियल इन्सोल्वेशी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये, 1,00,00,001/- से अधिक हो।
			(5)	व्यवहारवाद/आवेदन/याचिका/कार्यवाही/ अपीलें जो इंडियन आर्बीट्रेशन एवं कासिलिएशन अधिनियम, 1996 / म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1953 की धारा-6 तथा इंडियन ट्रस्ट एकट, की धारा-2 के अंतर्गत संस्थित किये जावे।
			(6)	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (मान. उच्च न्यायालय का ज्ञापन क. IV A/191/III-6-3/85 (Part IV) Dated 18.01.1998) विशेष विवाह अधिनियम, 1954, भारतीय तलाक अधिनियम, 1969 तथा हिन्दू दल्लक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956, हिन्दू उत्ताराधिकार अधिनियम, 1956 तथा मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम, 1939 संरक्षक एवं प्रतिपात्य अधिनियम, 1890 से संबंधित समस्त प्रकरण।
			(7)	चुनाव याचिकाएं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत।
			(8)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद/व्यवहार अपीलें/आवेदन/अभ्यावेदन तथा याचिकाएं।
			(9)	अभ्यावेदन -THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 के अंतर्गत प्रकरण।

स.क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनुकूल	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है।
	प्रथम अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, आष्टा		(1)	मोटरयान अधिनियम, 1988 से संबंधित दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो थाना जावर, सिद्दीकगज क्षेत्राधिकार से उद्भुत हो। म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन मामले व कार्यवाही।
	प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश / आरक्षी केन्द्र आष्टा, विशेष न्यायालय (म.प्र. निक्षेपकों जावर, सिद्दीकगंज, के हितों का संरक्षण अधिनियम पार्वती 2000) आष्टा			
6	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश आष्टा (श्री कंचन सक्सेना)	सत्र खण्ड सीहोर	(1)	सत्र न्यायालय द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण / आपराधिक रिवीजन /आपराधिक अपील /जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
			(2)	आरक्षी केन्द्र जावर एवं सिद्दीकगंज, के क्षेत्राधिकार में पुलिस एवं अन्य विभागों के द्वारा दर्ज अपराध से संबंधित जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438, 439 एवं 440 द0प्र0स0 (विशेष न्यायालय द्वारा अनन्यतः विचारणीय अपराध से संबंधित मामलों को छोड़कर)
		तहसील आष्टा एवं जावर	(1)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद/व्यवहार अपीलें/आवेदन/अध्यापेदन तथा याचिकाएं।
			(2)	नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें जो कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आष्टा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड आष्टा के द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्रों से उद्भूत हो।
	द्वितीय अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण आष्टा		(1)	मोटरयान अधिनियम, 1988 से संबंधित दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो थाना आष्टा, पार्वती क्षेत्राधिकार से उद्भुत हो।
7	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, भैरूंदा (नसरुल्लागंज) जिला सीहोर (श्री रविन्द्र कुमार शर्मा)	सत्र खण्ड सीहोर	(1)	सत्र न्यायालय द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण / आपराधिक रिवीजन /आपराधिक अपील /जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
		आरक्षी केन्द्र नसरुल्लागंज, रेहटी, एवं गोपालपुर	(2)	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड, अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र आदि से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही। (रेहटी का जो क्षेत्र भैरूंदा (नसरुल्लागंज) तहसील के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है)
			(3)	बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, बलात्संग सहित हत्या और उसके साथ जुड़े हुए अपराधों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही।
			(4)	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (1) से संबंधित विशेष प्रकरण जो भैरूंदा (नसरुल्लागंज) एवं रेहटी क्षेत्र से उद्भुत हो (रेहटी का जो क्षेत्र भैरूंदा (नसरुल्लागंज) तहसील के अंतर्गत आता है)। (रजिस्ट्री अधिसूचना क्र. ए/2073 दिनांक 22.04.2023)
			(5)	आरक्षी केन्द्र भैरूंदा (नसरुल्लागंज), गोपालपुर एवं रेहटी (रेहटी का जो क्षेत्र भैरूंदा (नसरुल्लागंज) तहसील के न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है) के क्षेत्राधिकार में पुलिस एवं अन्य विभागों के द्वारा दर्ज अपराध से संबंधित जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438, 439 एवं 440 द0प्र0स0 (विशेष न्यायालय द्वारा अनन्यतः विचारणीय अपराध से संबंधित मामलों को छोड़कर)

स.क. न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनु. क.	<p>प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है।</p> <p>(1) नियमित व्यवहार वाद एवं अन्य कार्यवाहिया जिनका मूल्यांकन रूपये 1,00,00,001/- से 5,00,00,001/- से (एक करोड़ एक से पाँच करोड़ एक) से अधिक हो। (रेहटी का जो क्षेत्र भैरुदा (नसरुल्लागंज) तहसील के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है)</p> <p>(2) लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 500/- से अधिक हो।</p> <p>(3) नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीहोर के न्यायालय के द्वितीय अति.न्यायाधीश, एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, नसरुल्लागंज के द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्रों से उद्भूत हो।</p> <p>(4) प्रोविशियल इन्सोल्वेशी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये 5,00,00,001/- से अधिक हो।</p> <p>(5) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (मान. उच्च न्यायालय का ज्ञापन क. IV A/191/III-6-3/85 (Part IV) Dated- 18.01.1998) विशेष विवाह अधिनियम, 1954, भारती तलाक अधि., 1969 तथा हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधि., 1956, हिन्दू उत्तराधिकार अधि., 1956 तथा मुस्लिम विवाह तलाक अधि., 1939 सरकार एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>(6) अभ्यावेदन—THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 smu के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>(7) व्यवहारवाद/आवेदन/याचिका/कार्यवाही/अपीलें जो इंडियन आर्बिट्रेशन एवं कासिलिएशन अधिनियम, 1996/म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1953 की धारा-6 तथा इंडियन ट्रस्ट एकट, की धारा-2 के अंतर्गत संस्थित किये जावे।</p> <p>(8) चुनाव याचिकाएं म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत।</p> <p>(9) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद/व्यवहार अपीलें/आवेदन/अभ्यावेदन तथा याचिकाएं। मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो थाना भैरुदा (नसरुल्लागंज), रेहटी, गोपालपुर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत हो। (रेहटी का जो क्षेत्र भैरुदा (नसरुल्लागंज) तहसील के अंतर्गत आता है)</p> <p>म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन मामले व कार्यवाही।</p>
द्वितीय अतिरिक्त सदरमय, आरक्षी केन्द्र (1) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रेहटी एवं गोपालपुर नसरुल्लागंज	क्षेत्राधिकार	अनु. क.	<p>सब्र न्यायालय द्वारा सनय-समय पर भेजे जाने वाले सब्र प्रकरण/आपराधिक रिवीजन/आपराधिक अपील/जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>ग्राम न्यायालय बुदनी द्वारा आपराधिक प्रकरणों में पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील।</p>
8 जिला एवं अति. सब्र न्यायाधीश, बुदनी जिला सीहोर (डॉ. वैभव विकास शर्मा)	सब्र खण्ड सीहोर	(1)	<p>सब्र न्यायालय द्वारा सनय-समय पर भेजे जाने वाले सब्र प्रकरण/आपराधिक रिवीजन/आपराधिक अपील/जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य कार्यवाहियां।</p> <p>ग्राम न्यायालय बुदनी द्वारा आपराधिक प्रकरणों में पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील।</p>

संकेत संख्या व न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनुकूलता का प्रकार
		(3) तहसील बुदनी एवं उसके अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार में पुलिस एवं अन्य विभागों के द्वारा दर्ज अपराध से संबंधित जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438, 439 एवं 440 द०प्र०स०।
तहसील बुदनी एवं उसके अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र बुदनी, शाहगंज व रेहटी (रेहटी का जो क्षेत्र बुदनी तहसील के अंतर्गत आता है)	(4)	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड, अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र आदि से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही।
तहसील बुदनी एवं रेहटी (वह ग्राम जो बुदनी क्षेत्र के अंतर्गत आते हो)	(5) (6) (7)	(5) बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, बलात्संग सहित हत्या और उसके साथ जुड़े हुए अपराधों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही। (6) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 (1) से संबंधित विशेष प्रकरण जो बुदनी, एवं रेहटी क्षेत्र से उद्भुत हो (रेहटी का जो क्षेत्र बुदनी तहसील के अंतर्गत आता है)। (रजिस्ट्री अधिसूचना क. ए/2073 दिनांक 22.04.2023) (1) नियमित व्यवहार वाद एवं अन्य कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक से अधिक) तक हो। (रेहटी का जो क्षेत्र बुदनी तहसील के अंतर्गत आता है) (2) लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 500/- से अधिक हो। (3) नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, एवं व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड बुदनी तथा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बुदनी के द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्रों से उद्भूत हो। (4) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (मान. उच्च न्यायालय का ज्ञापन क. IV A/191/III-6-3/85 (Part IV) Dated 18.01.1998) विशेष विवाह अधिनियम, 1954, भारतीय तलाक अधिनियम, 1969 तथा हिन्दू दत्ताक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956, हिन्दू उत्ताराधिकार अधिनियम, 1956 तथा मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम, 1939 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 से संबंधित समर्त प्रकरण। (5) व्यवहारवाद/आवेदन/याचिका/कार्यवाही/अपीलें जो इंडियन आर्बोट्रेशन एवं कांसिलिएशन अधिनियम, 1996/म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1953 की धारा-6 तथा इंडियन ट्रस्ट एकट, की धारा-2 के अंतर्गत सरिथ्त किये जावे। (6) प्राविश्याल इन्सोल्वेशनी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये, 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक से अधिक) हो। (7) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद/व्यवहार अपीलें/आवेदन/अभ्यावेदन तथा याचिकाएं। (8) अभ्यावेदन- THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013 द्वारा के अंतर्गत प्रकरण।

स.क. न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनुकूल	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है।
अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बुदनी	तहसील बुदनी एवं (1) उसके अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र		मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण जो तहसील बुदनी एवं उसके अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र से उद्भूत हों। (रहठी का जो क्षेत्र बुदनी तहसील के अंतर्गत आता है)
अति. सब्र न्यायाधीश / विशेष न्यायालय (म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000) बुदनी	तहरील बुदनी एवं उसके म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत आने वाले आरक्षी अधीन मामले व कार्यवाही। केन्द्र बुदनी, शाहगंज व रेहठी (रहठी का जो क्षेत्र बुदनी तहसील के अंतर्गत आता है)		
9 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ तहसील सीहोर खण्ड, सीहोर (श्रीमती अर्चना नायडू बोडे) इचावर	(1) श्यामपुर एवं	(1)	नियमित व्यवहार वाद एवं संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रूपये (5,00,001/- से 1,00,00,000/- (पाँच लाख एक रुपये से एक करोड़ रुपये) तक हो। (ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित सिविल प्रकृति के ऐसे समस्त वाद जो ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आते हो को छोड़कर)
		(2)	व्यवहार वाद प्रकरण/आदेदन/ याचिका एवं अन्य कार्यवाहियाँ जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित की जावे।
		(3)	संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण
		(4)	लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन 01/- से 500/- रुपये तक हो।
		(5)	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 के भाग 10 से संबंधित प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
		(6)	प्रोविंशियल इन्सोल्वेशनी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये, 1,00,00,000/- से अधिक न हो।
		(7)	अपीले अंतर्गत धारा 139 एवं 172 म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 से संबंधित।
		(8)	व्यवहार वाद प्रकरण/आदेदन/ याचिका एवं अन्य कार्यवाहियाँ जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित की जावे।
10 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सीहोर एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सीहोर (सुश्री निधु श्रीवास्तव)	तहसील सीहोर एवं (1) श्यामपुर	(1)	नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रूपये 01/- से 5,00,000/- (एक रु. से पाँच लाख रु.) तक हो। (दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक प्रभावशील रहेगा) (ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित सिविल प्रकृति के ऐसे समस्त वाद जो ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आते हो को छोड़कर)
		(2)	संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
	जनपद पंचायत सीहोर	(3)	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित सिविल प्रकृति के ऐसे समस्त वाद जो सीहोर नगर पालिका/ नगर पंचायत की सीमा की रथानीय अधिकारिता को छोड़कर जनपद पंचायत, सीहोर के क्षेत्र से उद्भूत हो।

स.क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनुकूल	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है।
11	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सीहोर (श्रीमती श्यामपुर राखी सिकरवार)	तहसील सीहोर एवं श्यामपुर	(1)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
			(2)	संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
12	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सीहोर (सुश्री इकरा मिन्हाज)	तहसील सीहोर एवं श्यामपुर	(1)	नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रूपये 01/- से 5,00,000/- (एक रु. से पांच लाख रु.) तक हो। (दिनांक 02.01.2023 से 31.03.2023 तक प्रभावशील रहेगा) (ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित सिविल प्रकृति के ऐसे समरत वाद जो ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आते हो को छोड़कर)
			(2)	संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
			(3)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
13	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सीहोर (श्रीमती शुभा रिचारिया दीक्षित)	तहसील सीहोर एवं श्यामपुर	(1)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
			(2)	संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
14	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, इछावर (श्री जितेन्द्र सिंह परमार)	तहसील इछावर	(1)	नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रूपये 01/- से 5,00,000/- (एक रुपये से एक पांच लाख रु.) तक हो।
			(2)	लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन 01/- से 200/- रुपये तक हो।
			(3)	संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
			(4)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
15	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ तहसील आष्टा, खण्ड, आष्टा के न्यायालय के जावर प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, आष्टा (श्रीमती वंदना त्रिपाठी)	तहसील आष्टा	(1)	नियमित व्यवहार वाद एवं संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रूपये (5,00,001/- से 50,00,000/- (पांच लाख एक रुपये से पचास लाख रुपये) तक हो।
			(2)	लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन 201/- से 500/- रुपये तक हो।
			(3)	भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 के भाग 10 से संबंधित प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
			(4)	प्रोविंशियल इन्सोल्वेंशी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये 1,00,00,000/- से अधिक न हो।
			(5)	अपीले अंतर्गत धारा 139 एवं 172 म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 से संबंधित।
			(6)	संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।
			(7)	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

संक्षिप्त व्यवहार का नाम	क्षेत्राधिकार	अनुकूल
16 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ तहसील आष्टा, खण्ड, आष्टा के न्यायालय के जावर द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, आष्टा	क्षेत्राधिकार	<p>प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है।</p> <p>(1) नियमित व्यवहार बाद एवं संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रूपये (50,00,001/- से 1,00,00,000/- (पचास लाख एक रुपये से एक करोड़ रुपये) तक हो।</p> <p>(2) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार बादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p> <p>(3) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
17 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आष्टा (सुश्री आयुषी गुप्ता)	तहसील आष्टा, जावर	<p>(1) नियमित व्यवहार बाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रूपये 01/- से 5,00,000/- (एक रु. से पांच लाख रु.) तक हो। (दिनांक 02.01.2023 से 30.04.2023 तक प्रभावशील रहेगा) तक हो।</p> <p>(2) लघु बाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन 01/- से 200/- रुपये तक हो।</p> <p>(3) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार बादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p> <p>(4) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
18 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड आष्टा (श्रीमती ऋचासिंह राजावत)	तहसील आष्टा, जावर	<p>(1) नियमित व्यवहार बाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रूपये 01/- से 5,00,000/- (एक रु. से पांच लाख रु.) तक हो। (दिनांक 01.05.2023 से 31.08.2023 तक प्रभावशील रहेगा) तक हो।</p> <p>(2) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार बादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p> <p>(3) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
19 तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, आष्टा (सुश्री रिचा जैन)	तहसील आष्टा, जावर	<p>(1) नियमित व्यवहार बाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रूपये 01/- से 5,00,000/- (एक रु. से पांच लाख रु.) तक हो। (दिनांक 01.09.2023 से 31.12.2023 तक प्रभावशील रहेगा)।</p> <p>(2) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>(3) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार बादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण।</p>
20 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ तहसील भैरुदा खण्ड, रीहोर के न्यायालय के (नसरुल्लागंज) अतिरिक्त न्यायाधीश, भैरुदा रेहटी (श्रीमती सुनीता गोयल)	तहसील आष्टा, भैरुदा रेहटी	<p>(1) नियमित व्यवहार बाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन रूपये 01/- से 1,00,00,000/- (एक रुपये से एक करोड़) तक हो। (नवनिर्मित तहसील रेहटी में समिलित उन ग्रामों से संबंधित मामले जो पूर्व में भैरुदा (नसरुल्लागंज) तहसील में रहे हैं।)</p> <p>(2) लघु बाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियाँ जिनका मूल्यांकन 01/- से 500/- रुपये तक हो। (नवनिर्मित तहसील रेहटी में समिलित उन ग्रामों से संबंधित मामले जो पूर्व में भैरुदा (नसरुल्लागंज) तहसील में रहे हैं।)</p> <p>(3) भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 के भाग 10 से संबंधित प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ।</p>

संकेत नं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनुकूलता	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है।
21	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, नसरुल्लागंज (श्रीमती भावना जाटवा)	तहसील भैरुदा (नसरुल्लागंज) रेहटी	(1) (2)	(4) प्रोविशियल इन्सोल्वेशनी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये, 1,00,00,000/- से अधिक नहो। (5) अपीले अंतर्गत धारा 139 एवं 172 म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 से संबंधित। (6) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण (7) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
22	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ तहसील बुदनी, रेहटी खण्ड, एवं ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बुदनी (श्री अरविन्द श्रीवास्तव)	तहसील भैरुदा (नसरुल्लागंज) रेहटी	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	(1) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। (2) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण। नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये 5,00,001/- से 1,00,00,000/- (रूपये पाँच लाख एक से एक करोड़ रूपये) तक हो। (नवनिर्मित तहसील रेहटी के उन ग्रामों को छोड़कर जो पूर्व में भैरुदा (नसरुल्लागंज) तहसील के भाग थे एवं ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित सिविल प्रकृति के ऐसे समस्त वाद जो ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आते हो को छोड़कर) (2) लघु वाद एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन 01/- से 500/- रूपये तक। (3) भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 के भाग 10 से संबंधित प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां। (4) प्रोविशियल इन्सोल्वेशनी एकट, 1920 से संबंधित प्रकरण जिनका वाद मूल्य रूपये, 1,00,00,000/- से अधिक नहो। (5) अपीले अंतर्गत धारा 139 एवं 172 म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 से संबंधित। (6) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। (7) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध/निष्पादन प्रकरण
23	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ तहसील बुदनी, रेहटी खण्ड, बुदनी (श्री कुणाल वर्मा)	जनपद पंचायत बुदनी	(1) (2)	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित सिविल प्रकृति के ऐसे समस्त वाद जो बुदनी नगर पालिका / नगर पंचायत की सीमा की अधिकारिता को छोड़कर जनपद पंचायत, बुदनी के क्षेत्र से उद्भूत हो। नियमित व्यवहार वाद एवं संबंधित कार्यवाहियां जिनका मूल्यांकन रूपये (01/- से 5,00,000/- (रूपये एक से पाँच लाख) तक हो। (नवनिर्मित तहसील रेहटी के उन ग्रामों को छोड़कर जो पूर्व में भैरुदा (नसरुल्लागंज) तहसील के भाग थे एवं ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित सिविल प्रकृति के ऐसे समस्त वाद जो ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आते हो को छोड़कर) (2) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।

स.क. न्यायालय का नाम

क्षेत्राधिकार

अनुकूल प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है।

(3) संबंधित न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार बादों से उत्पन्न विविध / निष्पादन प्रकरण

टिप्पणी:-

- 1 इस कार्यविभाजन आदेश से पूर्व में लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। १ फ़िल्में
- 2 आपराधिक अपीलें / आपराधिक निगरानी / सत्र प्रकरण प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा एवं ~~प्रथम~~ अति. सत्र न्यायाधीश भैरूदा (नसरुल्लागंज) एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी के द्वारा पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय सीहोर को पूर्वानुसार भेजे जावेंगे।
- 3 तहसील सीहोर, आष्टा, बुदनी एवं भैरूदा (नसरुल्लागंज) के अति. सत्र न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग पत्र संबंधित अति. सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों में बिना उर्पापण के ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे, उन्हें सत्र न्यायालय सीहोर ने सत्र प्रकरण की पंजी में प्रविष्टि किये जाने के लिये भेजा जावेगा तथा अभियुक्त / अभियुक्तगण से संबंधित समस्त कार्यवाही अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर, आष्टा, बुदनी एवं नसरुल्लागंज जैसी भी स्थिति में हो के द्वारा की जावेगी।
- 4 तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) सीहोर की अनुपरिधति में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी) सीहोर एवं इनकी अनुपरिधति में प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं इनकी अनुपरिधति में सत्र न्यायाधीश, सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 5 प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर की अनुपरिधति में, विद्युत अधिनियम से संबंधित अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं इनकी अनुपरिधति में विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर एवं इनकी अनुपरिधति में सत्र न्यायाधीश, सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 6 प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा की अनुपरिधति में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश आष्टा, एवं इनकी अनुपरिधति में तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं इनकी अनुपरिधति में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 7 प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा की अनुपरिधति में, विद्युत अधिनियम से संबंधित अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश आष्टा एवं इनकी अनुपरिधति में प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश सीहोर / विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर एवं इनकी अनुपरिधति में सत्र न्यायाधीश, सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 8 द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, भैरूदा (नसरुल्लागंज) की अनुपरिधति में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई, अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी एवं इनकी अनुपरिधति में दूसी अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 9 द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, भैरूदा (नसरुल्लागंज) की अनुपरिधति में, विद्युत अधिनियम से संबंधित अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी एवं इनकी अनुपरिधति में प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश सीहोर / विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर एवं इनकी अनुपरिधति में सत्र न्यायाधीश, सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 10 अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी की अनुपरिधति में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई, द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, भैरूदा (नसरुल्लागंज) एवं इनकी अनुपरिधति में तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 11 अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी की अनुपरिधति में, विद्युत अधिनियम से संबंधित अत्यावश्यक आवेदन पत्रों की सुनवाई द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, भैरूदा (नसरुल्लागंज) एवं इनकी अनुपरिधति में प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश सीहोर / विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), सीहोर एवं इनकी अनुपरिधति में सत्र न्यायाधीश, सीहोर द्वारा सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे।
- 12 मुख्यालय सीहोर में कार्यरत तृतीय जिला न्यायाधीश, सीहोर को पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों की सुनवाई किये जाने हेतु विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सीहोर के पद पर नामांकित किया गया है, जिसके फलस्वरूप उनके न्यायालय का समस्त प्रकार का सिविल कार्य अंतरित किया गया है एवं उनके न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार बाद व्यवहार अपीले, निष्पादन प्रकरण, क्लोम प्रकरण, आवेदन, अभ्यावेदन तथा याचिकाएं एवं अन्य कार्यवाहियां से उत्पन्न, कार्यवाहियों की सुनवाई, प्रथम जिला न्यायाधीश, सीहोर के द्वारा की जावेगी।

स.क. न्यायालय का नाम

क्षेत्राधिकार

अनु-प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है।
क.

- 13 पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सीहोर, दिनांक 27.09.2022 से दिनांक 25.03.2023 तक प्रसूति अवकाश एवं 26.03.23 से 31.07.23 तक संतान पालन अवकाश पर है, अतः उनके उपस्थित होने तक, उनके न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाहियों की सुनवाई, सुश्री निधु श्रीदास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीहोर द्वारा की जावेगी। उक्त की अनुपस्थिति में मुख्यालय सीहोर में उपस्थित वरिष्ठत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीहोर द्वारा की जावेगी।
- 14 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सीहोर, दिनांक 15.12.2022 से दिनांक 04.03.2023 एवं 05.03.2023 से 03. 06.2023 तक संतान पालन अवकाश पर है, अतः उनके उपस्थित होने तक, उनके न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न विविध, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य आवश्यक कार्यवाहियों की सुनवाई, सुश्री इकरा मिन्हाज, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीहोर द्वारा की जावेगी। उक्त की अनुपस्थिति में मुख्यालय सीहोर में उपस्थित वरिष्ठत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीहोर द्वारा की जावेगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीहोर (म.प्र.)

अनुलग्न-अ

इस न्यायिक जिला स्थापना पर रथापित, कॉलम 2 में उल्लेखित एवं पदरथ निम्न न्यायाधीशों के किसी भी प्रकार के अवकाश पर रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य उनके समुख दर्शाये गये उपस्थित न्यायाधीशगण द्वारा कमानुसार संपादित किया जायेगा:-

क.	अवकाश पर रहने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम	कॉलक नं. 2 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	कॉलक नं. 2 व 3 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर	कॉलक नं. 2, 3 व 4 के न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने पर
1	2	3	4	5
1	प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी), सीहोर	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर
2	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर
3	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), सीहोर	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	1-सत्र न्यायाधीश (NDPS & SC/ST (Prevention of Atrocities) एकट के प्रकरण 2-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के द्वारा केवल SC/ST (Prevention of Atrocities) एकट के प्रकरणों में तभी सुनवाई करेंगे जब मुख्यालय सीहोर व तहसील न्यायालय के समस्त अति. सत्र न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश अवकाश पर हो)
4	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी), सीहोर	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर
5	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, आष्टा	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी), सीहोर
6	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर	तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीहोर (म.प्र.)